उ0प्र0 विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
2-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे, कि प्रदेश में कार्यरत सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाने वाले शिक्षकों को अनुकम्पा के अन्तर्गत मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13 सितम्बर 2024 जो कि अ०मु०स०/ प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?	जी हॉ ।
(ख) क्या उपरोक्त के सम्बन्ध में ही श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सभापति संसदीय एवं सामाजिक सदभाव समिति का भी दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 कि अ०मु०स०/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?	जी हॉ ।
(ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त पत्रों के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे, क्या उपरोक्त पत्रों के साथ संलग्न पत्रों में पीड़ितों द्वारा उल्लेख किया गया है, तथा नियुक्ति करने वाले सक्षम अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग की गयी है, जिसको न देने के कारण उनको नियुक्ति नहीं दी गयी है ?	उक्त वर्णित दोनों पत्रों में उल्लिखित मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं:- **(1)** डॉ० मानसिंह यादव, मा० सभापति विधायी समाधिकारी समिति का पत्र दिनांक 13.09.2024 - श्री दीपक मिश्र ने अपने पिता स्व० विन्ध्यवासिनी मिश्र के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति किये जाने, बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही के द्वारा अनियमित तरीके से नियम विरूद्ध इनका आवेदन अस्वीकृत किये जाने, मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पूर्व ही श्री दीपक मिश्र द्वारा अपना आवेदन संबंधित को प्रस्तुत करने तथा 11 नवम्बर, 2023 को इसी प्रकार एक नियुक्ति छः माह के ब्रिज कोर्स कराने के साथ श्री अन्जनेय त्रिपाठी पुत्र स्व० बबिता को दिये का उल्लेख करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही/धनउगाही की प्रवृत्ति के कारण श्री दीपक मिश्र की वांछित नियुक्ति नहीं किया जाना अंकित है। **(2)** श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा० सभापति, संसदीय एवं सामाजिक सदभाव समिति के पत्र दिनांक 16.10.2024 - मा0 सभापति, संसदीय एवं सामाजिक सदभाव समिति के पत्र दिनांक 16.10.2024 के साथ संलग्न पत्र में श्री दीपक मिश्र द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु आवेदन किये जाने , किन्तु रिश्वत न देने के कारण प्रार्थी को सेवा प्रदान नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है।
(घ) यदि हां, तो उपरोक्त प्रकरण पर शासन स्तर से किसी अधिकारी से जांच कराते हुये भ्रष्टाचार में	(1) स्व0 विन्ध्यवासिनी मिश्र, स0अ0, कम्पोजिट विद्यालय कोईरौना, विकास खण्ड-डीघ, जनपद-भदोही की दिनांक 04.05.2021 को हुई मृत्यु के उपरान्त इनके पुत्र श्री दीपक मिश्र

सम्मिलित कार्मिको के विरूद्ध कार्यवाही कराते हुये शीघ्र उपरोक्त पत्रों में इंगित व्यक्तियों को अनुकम्पा के तहत उनकी योग्यतानुसार/तृतीय श्रेणी के पद (अधिसंख्य तृतीय श्रेणी पद पर) पर कब तक नियुक्ति करा दी जायेगी ?

द्वारा मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु दिनांक 23.09.2021 को आवेदन किया गया। इस समय तक वह सहायक अध्यापक की योग्यता धारित नहीं करते थे। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5068/2023 देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11 अगस्त, 2023 द्वारा बी0एड0 प्रशिक्षण योग्यता को प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अमान्य किये जाने के आधार पर श्री दीपक मिश्र के प्रत्यावेदन को अमान्य करते हुए निस्तारित कर दिया गया।

(2) शासनादेश संख्या-5193/15-5-2000-400(222)/99, दिनांक 04.09.2000 में अध्यापकों तथा चतुर्थ श्रेणी के पद पर अधिसंख्य तथा लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति के प्राविधान है। शासनादेश दिनांक 04.09.2000 में निहित प्राविधानानुसार लिपिक के अधिसंख्य पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। जनपद में लिपिक का पद रिक्त न होने के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही के पत्र दिनांक 16.07.2024 द्वारा परिचारक पद हेतु श्री मिश्र को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र भेजा गया परन्तु श्री दीपक मिश्रा द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु सहमति नहीं दिये जाने के कारण उनको मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी है।

प्रकरण विधान परिषद की मा० संसदीय एवं सामाजिक सदभाव समिति के समक्ष भी विचाराधीन है। मा० संसदीय एवं सामाजिक सदभाव समिति के समक्ष श्री दीपक मिश्र द्वारा दिये अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.2023 के बाद दिनांक 20.11.2023 को श्री आन्जनेय त्रिपाठी को नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु उल्लिखित कथन के संबंध में अवगत कराना है कि श्री आन्जनेय त्रिपाठी की मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत सहायक अध्यापक के पद पर उनकी शैक्षिक अर्हता, स्नातक, डी०एल०एड० एवं सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन दिल्ली द्वारा संचालित (CTET) अगस्त 2023 होने के कारण नियुक्ति प्रदान की गयी है।

प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.2023 द्वारा बी0एड0 को अनिवार्य प्रशिक्षण योग्यता के रूप में अमान्य घोषित किये जाने के फलस्वरूप नियुक्ति के संबंध में पत्रावली न्याय विभाग को परामर्श हेतु संदर्भित की गयी, जिस पर न्याय विभाग द्वारा कार्मिक विभाग एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने के निर्देश दिये गये, जिसमें निम्नवत अभिमत प्राप्त हुए हैं :-

कार्मिक विभाग का परामर्श :-

''मृतक आश्रित सेवायोजन के संबंध में उ0 प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवको के आश्रितों की भर्ती (यथासंशोधित) नियमावली-1974 के नियम-5(1)(एक) में व्यवस्था है कि-''**पद**

के लिए विहित शैक्षिक अर्हता पूरी करता हो।'' अत: प्रशा0 वि0 को स्पष्ट करा दिया जाये कि उक्त नियमावली की व्यवस्था सुस्पष्ट है, जिसका परीक्षण कर स्वस्तर से निर्णय लेना होगा। चूंकि प्रकरण मा0 न्यायालय के आदेशों से आच्छादित है। अत: प्रशा0 विभाग न्याय विभाग से भी परामर्श प्राप्त कर लेंगे।''

मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय का परामर्श:-

"From the perusal of records placed before us today, it transpires that an application for appointment under Dying-In-Harness Rules has been filed by Sri Deepa Mishra after the death of his father Vindhyavasini Mishra who was working as Assistant Teacher in Primary School. The qualification of Mr. Deepak Mishra is B.Ed. and C.TET. In the case of Devesh Sharma Vs. Union of India & Others, the Hon'ble Apex Court has held that the B.Ed. qualification is not prescribed for appointment as Assistant Teacher in Basic Schools. Hence, Mr. Deepak Mishra cannot be given appointment as Assistant Teacher in the Basic School as he is not possessed with the prescribe qualification. However, it is open to be Department to act independently of the opinion and may seek independent opinion of the Law Department of the State Government and act accordingly."

प्रकरण में न्याय विभाग द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में कार्मिक विभाग तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त उक्त परामर्श के क्रम में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

संदीप सिंह

राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)।